



JALAUN POLICE

"Operation Conviction"

दिनांक 14.07.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन के निदेशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं थाना कैलिया पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय एडीजे/एनडीपीएस/जीएसटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गयी अवधि एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त 1. काले कुरैशी पुत्र मुन्ना कुरैशी नि० आराजी लाइन, कसाई मण्डी कोतवाली कोंच जनपद जालौन के विरुद्ध थाना कैलिया पर मु० अ० सं० 141/16 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व थाना कैलिया पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय एडीजे/एनडीपीएस/जीएसटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त काले उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गयी अवधि एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



अभियोजन अधिकारी
शिवदास पाण्डेय



श्री परमहंस तिवारी
प्रभारी मॉनिटरिंग सेल



का० तारा चन्द्र कोट
मुहम्मि



का० सूरज बघेल कोट
पैराकार

jalaunpolice

